फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-II जितेन्द्र कुमार बनाम जोड़मल वगै.

केस संख्या T.NO- 187/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आज दि. 4/2/24 को पत्रावली पेश की। अधिवक्ता गण द्वारा आज कन्डोलेंस/ बहिष्कार/[illegible] किये जाने के कारण न्यायालय की [illegible] नहीं जा सकी। फैसला अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पुनर्नियत दि. 2/4/24 को पेश हो।
	02/04/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अभियुक्त व अभियोगी सं. 3,4,5,9 व 13 की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र 09 R7 पर वकील प्रार्थी व अभियोगीगण की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय प्रस्तावेजात अवलोकन किया गया अतः अभियोगी सं. 3,4,5,9,व 13 की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र 09 R7 को खारिज किया जाकर उक्त अभियोगीगण विरुद्ध पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जाकर अभियोगी सं. 3,4,5,9,व 13 को अवाब T.I. को स्टेज पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी व वकील अभियोगीगण की बहस T.I. पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय प्रस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकरारमा दे पेश किया गया है। मूलवाद का निस्तारण वाद के निर्णय उपरांत तहसीलदार को से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की आप... लगा...

अभियोगी सं. 3,4,5,9,13 की ओर से

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-II जितेन्द्र कुमार बनाम जोड़मल वगै.

केस संख्या T.NO- 187/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	सुनी जाकर तदउपरांत मूलवाद में निर्णय पारित किया जाना है इस में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भराजीपट्टा को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद में बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22/12/2023 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली के मूल क्रमांक होकर उर्फ नंबर से क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/04/2024 को सुनाया गया।	

Scanned with OKEN Scanner